

440 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

[2023] 10 एस. सी. आर 440:2023 आईएनएससी 618 ए

ए.

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन v.

अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 3856) 05 जुलाई, 2023

बी.

[बी. वी. नागरत्ना और

प्रशांत कुमार मिश्रा, जे. जे.]

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 -धारा 19 (1)-प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करना-समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर आपत्ति दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया-एनजीटी ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और पहले प्रत्यर्थी द्वारा शिकायत किए गए कथित उल्लंघनों के बारे में एक रिपोर्ट मांगी-हालांकि, अपीलार्थियों को नहीं दी गई रिपोर्ट पर आपत्ति उठाने का अवसर-आयोजित किया गया:यह स्पष्ट है कि अपीलार्थियों को एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दायर करने का अवसर नहीं दिया गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सिफारिशों को एन. जी. टी. पर अपलोड किया गया था और एन. जी. टी. का अंतिम आदेश तीन दिन बाद पारित किया गया था, अर्थात् एन. जी. टी. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करने का एक स्पष्ट मामला है-हालाँकि एन. जी. टी. संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, इसके कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन भी शामिल होगा जैसा कि एन. जी. टी. द्वारा परिकल्पित है। 19(1) अधिनियम का-इसलिए, विवादित आदेश को अपास्त करना, मामले को एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर सिफारिशों के चरण से फिर से विचार करने के लिए एनजीटी को भेज दिया जाता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

सिद्धांत/सिद्धांत-'आधिकारिक सूचना'-प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण-जिस डेटा पर एक प्राधिकरण कार्य कर रहा है, उसे उस पक्ष को सूचित किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ डेटा का उपयोग किया जाना है क्योंकि ऐसे पक्ष को न केवल इसका

खंडन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन तथ्यों के पूरक, व्याख्या या एक अलग दृष्टिकोण भी देगा जिन पर प्राधिकरण निर्भर है।

जी.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि -**1.** कि एन. जी. टी. एक न्यायिक निकाय है और इसलिए न्यायिक कार्यवाई का प्रयोग करता है। एक की प्रकृति

एच.

440

441

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाम अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस।

न्यायनिर्णायक कार्य अपने साथ इस आवश्यकता को वहन करेगा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए, विशेष रूप से जब न्यायाधिकरण के समक्ष या भारत में न्यायालयों के समक्ष उस मामले की सुनवाई की एक प्रतिकूल प्रणाली हो। हालाँकि एन. जी. टी. संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, इसके कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए जिसमें अधिनियम की धारा **19 (1)** में परिकल्पित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी शामिल होगा। [पैरा **15**] [455-बी-सी]

बी.

2. इस संदर्भ में, 'आधिकारिक सूचना' सिद्धांत को संदर्भित करना उपयोगी होगा, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। यद्यपि एक प्राधिकरण अपनी विशेषज्ञ क्षमता में औपचारिक रूप से उन्हें साक्ष्य में पेश करने की आवश्यकता के बिना अपनी परिचित सामग्री पर भरोसा कर सकता है, फिर भी, पक्षों को इस तरह से देखी गई सामग्री के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें समझाने या खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जिस डेटा पर कोई प्राधिकरण कार्य कर रहा है, उसे उस पक्ष को सूचित किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ डेटा का उपयोग किया जाना है क्योंकि ऐसे पक्ष को न केवल इसका खंडन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन तथ्यों को पूरक, व्याख्या या एक अलग दृष्टिकोण भी देगा जिन पर प्राधिकरण निर्भर है। इसे श्वार्ट्ज ने प्रशासनिक कानून पर अपने काम में समझाया है। उपरोक्त सिद्धांत न्यायिक/न्यायिक निकाय पर अधिक बल के साथ लागू होता है। इसलिए, एन. जी. टी. के समक्ष आने वाले मामलों में उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यदि एन. जी. टी. किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या उसके संज्ञान में आने वाली किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री पर भरोसा करने का इरादा रखता है, तो उसे पक्ष को पहले से खुलासा करना

चाहिए ताकि चर्चा और खंडन का अवसर दिया जा सके। इस प्रकार, एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर एन. जी. टी. के संज्ञान में आने वाली तथ्यात्मक जानकारी, यदि एन. जी. टी. द्वारा उस पर भरोसा किया जाना है, तो पक्षकारों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए इसका खुलासा किया जाना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों या टिप्पणियों को न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। [पैरा **16**] **[455-डी-एच]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

3. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि विशेषज्ञों की राय केवल अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता के रूप में होती है। लेकिन, तत्काल मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ सिफारिशों को निर्देशों का आधार बनाया गया है और ऐसा दृष्टिकोण अनुचित है। [पैरा **17**] **[456-ए-बी]**

एच.

442 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 10 एस. सी. आर.

ए.

4. इस न्यायालय ने एन. जी. टी. के विवादित आदेश पर विचार किया है। यह स्पष्ट है कि इसमें अपीलार्थी (गण) जो एनजीटी के समक्ष प्रतिवादी थे, उन्हें एनजीटी द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सिफारिशें **15.01.2022** पर अपलोड की गई थीं और एनजीटी का अंतिम आदेश तीन दिन बाद पारित किया गया था, अर्थात् **18.01.2022**। इस प्रकार, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने का एक स्पष्ट मामला है। केवल उक्त आधार पर विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है, मामले को एनजीटी द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर सिफारिशों के चरण से फिर से विचार करने के लिए एनजीटी को भेज दिया जाता है। [पैरा **18**] **[456-बी-डी]**

बी.

सी.

संघार जुबेर इस्माइल बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और एक अन्य **(2021)** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **669**; कांथा विभाग युवा कोली समाज

परिवर्तन बनाम गुजरात राज्य **2022** एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. **120**; मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ गुजरात

डी.

भारत (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन 366-पर निर्भर था।

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील No.3856।

ई.

2018 के मूल आवेदन No.164 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांकित 18.01.2022 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सिविल अपील Nos.4529,4525 और 2022 की 4581।

एफ.

तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल, संजय जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, आदर्श त्रिपाठी, अजितेश गर्ग, सुश्री अलका सिन्हा, अनुव्रत शर्मा, आशीष प्रसाद, सुश्री मुक्ता दत्ता, महफूज अहसान नाजकी, पृथ्वी ढिनोजा, अश्विनी कुमार दुबे, शैलेश मडियाल, सुधांशु प्रकाश, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जी.

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., गुरमीत सिंह मक्कर, डॉ. अरुण कुमार यादव, सुश्री दीपावली दत्ता, दिव्यांश एच. राठी, देवाशीष भरुखा, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, सुश्री मनीषा चावा, सुश्री पूर्णिमा सिंह, सुश्री स्थायी अस्थाना, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री सौम्या कपूर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

एच.

443

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाम अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस।

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नागरत्ना, जे.

चूँकि इन अपीलों में अपीलार्थी (गण) द्वारा व्यक्त की गई शिकायतें आम हैं, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ा गया है और सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जाता है।

बी.

2. इसमें अपीलार्थी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (इसके बाद सुविधा के लिए "एनजीटी" के रूप में संदर्भित) दिनांक 18.01.2022 द्वारा पारित आदेश से व्यथित हैं। उक्त आदेश द्वारा अपीलार्थी (गण) के विरुद्ध निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:-

सी.

“दिशा निर्देश:

21. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह पेटेंट है कि व्यक्तिगत टी. पी. पी. या अन्य परियोजनाओं के संबंध में उपरोक्त पैरा 15 में निर्धारित सिफारिशों के साथ-साथ सभी टी. पी. पी. पर लागू सामान्य मुद्दों जैसे कि वायु प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी उपकरणों की समय पर स्थापना, फ्ल़ाई ऐश का समय पर उपयोग और निपटान, फ़्ल़ाई ऐश डाइक और सुरक्षा मानदंडों की वैज्ञानिक डिजाइनिंग, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करना, पूरे क्षेत्र में सी. ई. पी. आई. स्कोर को कम करके बिगड़ते पर्यावरण की बहाली के लिए कदम, रिहंद जलाशय और अन्य क्षतिग्रस्त/खराब क्षेत्रों की बहाली, जल आपूर्ति सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था प्रदान करना और समन्वित और ठोस प्रयासों और उच्च स्तरीय निगरानी के संदर्भ में उपचारात्मक उपायों की आवश्यकता है। पी. पी. को पिछले उल्लंघनों के लिए जवाबदेह होना चाहिए और उल्लंघनों को ठीक करने और भविष्य के लिए मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। नियामकों को इसे लागू करना है और उच्च अधिकारियों को इसकी देखरेख करनी है। तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं:

डी.

ई.

एफ.

आई. हम फ़्ल़ाई ऐश प्रबंधन और उपयोग मिशन के गठन का निर्देश देते हैं, जिसका नेतृत्व संयुक्त रूप से सचिव, एम. ओ. ई. एफ. और सी. सी., कोयला और बिजली मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे। सचिव, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. समन्वय और अनुपालन के लिए नोडल एजेंसी होगी। मिशन उपरोक्त चर्चा के आलोक में फ़्ल़ाई ऐश के संचालन और निपटान के साथ-साथ सभी संबंधित मुद्दों से संबंधित मुद्दों का समन्वय और निगरानी करेगा। यह स्थिति का जायजा लेने और अलग-अलग संयंत्रों के संबंध में ऊपर पैरा 15 में उद्धृत संयुक्त समितियों की सिफारिशों के आलोक में कार्य योजना तैयार करने के लिए एक महीने के भीतर अपनी पहली बैठक कर सकता है।

जी.

एच.

444

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

ए.

साथ ही आम तौर पर रोड मैप। इसके बाद, यह प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक वर्ष के लिए महीने में कम से कम एक बार बैठक कर सकता है। क्षेत्र के हितधारकों और निवासियों की जानकारी के लिए मिशन के प्रस्तावों और तिमाही प्रगति को एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. की वेबसाइट पर रखा जा सकता है। मिशन संबंधित सरकारी विभागों/विशेषज्ञ संस्थानों/व्यक्तियों/अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए स्वतंत्र होगा। मिशन को अपनी पहली बैठक में सी. एस. आर. निधियों से या अन्यथा परियोजनाओं की वित्तीय क्षमता के अनुपात में सभी परियोजनाओं द्वारा स्वैच्छिक वित्तीय योगदान की आवश्यकता हो सकती है। मुआवजे के साथ जो योगदान एकत्र किया जा सकता है, उसे पर्यावरण की बहाली के लिए एक अलग पर्यावरण बहाली खाते में जमा किया जा सकता है और पर्यावरण को नुकसान के पीड़ितों को इस तरह से राहत दी जा सकती है जो मिशन द्वारा आवश्यक पाया जाए। कोई भी पीड़ित या पीड़ित पक्ष इस तरह की राहत प्रदान करने के लिए मिशन से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगा। मिशन दिनांक 1 की अधिसूचना में निर्धारित सुरक्षा उपायों पर भी विचार कर सकता है, विशेष रूप से छह महीने के भीतर विशेष रूप से संरचनात्मक स्थिरता के लिए किए जाने वाले डाइक के सुरक्षा ऑडिट के लिए। विद्युत मंत्रालय द्वारा दिनांक 22.9.2021 पर जारी परामर्श को दिनांक 31 की अधिसूचना की भावना के विरुद्ध होने के कारण लागू नहीं किया जाएगा। 12.2021 और बहुत आवश्यक तेजी से उपयोग/पुराने फ्लाइंग के निपटान में बाधा डालना। मिशन ईंट भट्टे के मालिकों के संघों सहित हितधारकों के साथ बातचीत के लिए तंत्र विकसित कर सकता है। ऐश तालाबों के स्थान, निपटान, रखरखाव और विनियमन के लिए बैठक, डिजाइन और इंजीनियरिंग मानकों के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए जाएं क्योंकि फ्लाइंग ऐश तालाब के टूटने से बड़ी आपदा होती है। टी. पी. पी. और फ्लाइंग ऐश के उत्पादकों के संचालन के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और जोखिम प्रभाव मूल्यांकन किया जा सकता है। मिशन संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समन्वय में सिंगरौली और सोनभद्र के बाहर बिजली परियोजनाओं द्वारा फ्लाइंग ऐश के वैज्ञानिक प्रबंधन और उपयोग की निगरानी कर सकता है और ऐश डाइक के लिए सुरक्षा उपायों को अपना सकता है, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपकरण (एफ. जी. डी., ओ. सी. ई. एम. एस. सहित) समयबद्ध तरीके से स्थापित कर सकता है और पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बहाली कर सकता है। मिशन लाभान्वित कोयले के उपयोग पर भी विचार कर सकता है। यह विशेष रूप से फ्लाइंग ऐश तालाबों और डाइक के संबंध में ऑन-साइट और ऑफ-साइट संकट प्रबंधन योजनाओं पर विचार कर सकता है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पारंपरिक फ्लाई ऐश 1670.602 मिलियन टन है। 31.12.2021 और राख उत्पादन और विरासत में प्राप्त फ्लाई ऐश के उपयोग का डेटा इस प्रकार है:

- बी.
- सी.
- डी.
- ई.
- एफ.
- जी.
- एच.

445

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन v.

अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

“वर्ष 2020-21 के दौरान राख उत्पादन और उपयोग का सारांश

बी.

सी.

सचिवों की समिति, पीपी और वैधानिक नियामकों के साथ समन्वय में, सोनभद्र और सिंगरौली क्षेत्रों के साथ-साथ समूहों में स्थित सभी बिजली संयंत्रों के लिए पूरी पुरानी फ्लाई ऐश के उपयोग और निपटान के लिए एक रोडमैप तैयार कर सकती है या स्वैच्छिक और मजबूरी मोड पर फ्लाई ऐश का उपयोग करने के लिए स्रोतों को टैग कर सकती है, जिसके लिए आवश्यक तंत्र निर्धारित

किया जा सकता है।ii. पिछले उल्लंघनों के संबंध में, पी. पी. उत्तरदायी रहते हैं और सी. पी. सी. बी., राज्य पी. सी. बी. और क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेटों की संयुक्त समिति एम. सी. मेहता, (1987) 1 धारा 395, स्टर्लाइट (2013) 4 धारा 575 और गोयल गंगा (2018) 18 एस. सी. सी. 257 में निर्धारित सिद्धांतों के साथ-साथ इकाई के उल्लंघन की अवधि और वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते हुए उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए मुआवजा निर्धारित कर सकती है।पीपी समिति की सिफारिशों के अनुसार उपचारात्मक उपाय कर सकते हैं और कानून के अनुसार, निरंतर या भविष्य के उल्लंघनों के लिए दंडात्मक उपायों में विफल रहने पर संबंधित अधिकारियों द्वारा उपाय किए जा सकते हैं।

डी.

ई.

एफ.

iii.वैधानिक नियामक व्यक्तिगत संयंत्रों के संबंध में सिफारिशों के साथ-साथ आम तौर पर अनुपालन की आवश्यकता के संदर्भ में कार्रवाई कर सकते हैं ताकि संबंधित पी. पी. को अनुपालन करने की आवश्यकता हो, जिसमें विफल रहने पर वैधानिक नियामकों द्वारा कानून के अनुसार दंडात्मक उपाय किए जाएं।

जी.

iv.दिनांक 10.04.2020 की घटना के संबंध में, मृतक के उत्तराधिकारियों को रुपये की दर से मुआवजा दिया जाता है। प्रति मृत्यु 10 लाख रुपये तक बढ़ा दिया गया है। सरला वर्मा (2009) 6 एस. सी. सी. 121 और उपहार सिनेमा (2011) 14 एस. सी. सी. 481 में निर्धारित सिद्धांतों पर 15 लाख।हम शेष राशि का भुगतान एक महीने के भीतर करने का निर्देश देते हैं।

एच.

446

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

यह आदेश पीड़ितों के उत्तराधिकारियों को उचित मंच से संपर्क करके उच्च मुआवजे का दावा करने से नहीं रोकेगा।यदि पीड़ितों को मुआवजे के रूप में नियुक्त व्यक्तियों का वेतन न्यूनतम मजदूरी से कम है, तो पीपी इस विषय पर कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर सकता है, जिस पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के संबंधित श्रम विभागों द्वारा भी विचार किया जा सकता है। वैधानिक नियामक पर्यावरण की बहाली और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पहले उद्धृत

ओ. ए. 148/2020 में समिति की सिफारिशों के संदर्भ में आगे की उपचारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं।

बी.

5. रिहंद जलाशय के उल्लंघन के संबंध में भी, उपरोक्त पैरा 15 में उद्धृत विषय पर सिफारिशों के संदर्भ में आगे के उपचारात्मक उपाय किए जाएं।

सी.

सभी मामलों (आई. ए. सहित) का तदनुसार निपटारा किया जाएगा। यदि कोई शिकायत बनी रहती है, तो पीड़ित पक्ष कानून के अनुसार उपचार लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

इस आदेश की एक प्रति सचिवों, एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी., कोयला और बिजली मंत्रालय, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों, सी. पी. सी. बी., राज्य पी. सी. बी., एस. ई. आई. ए. ए., पी. सी. सी. एफ. (एच. ओ. एफ. एफ.) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, जिला मजिस्ट्रेट, सिंगरौली और सोनभद्र, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों और एस. एस. पी. को अनुपालन के लिए ई-मेल द्वारा भेजी जाए। सी. पी. सी. बी. अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी टी. पी. पी. या अन्य संबंधित लोगों को ईमेल द्वारा भी इसे प्रसारित कर सकता है।

डी.

ई.

आदर्श कुमार गोयल, सीपी

सुधलर अग्रवाल, जे. एम.

एफ.

बृजेश सेठी, जे. एम.

प्रो.ए. सेंथिल वे!, ई. एम.

डॉ. अफरोज अहमद, ई. एम.

18 जनवरी, 2022

जी.

3. एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों और मूल याचिका के निपटारे के तरीके से व्यथित होकर, अपीलार्थियों ने ये अपीलें दायर की हैं।

4. इस स्तर पर ही यह ध्यान दिया जा सकता है कि पहले प्रत्यर्थी , एनजीटी के समक्ष मूल आवेदक को सभी मामलों में सेवा प्रदान की गई है और ए

एच.

447

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन v.

अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

इन मामलों में सामने नहीं आया है। इन परिस्थितियों में, अपीलों की सुनवाई की गई है और इसमें अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।

5. सी. ए. No.3856/2022 में अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने शुरुआत में प्रस्तुत किया कि एन. जी. टी. की कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सभी न्यायिक कार्यवाही की पहचान है। तत्काल मामले में, जबकि एनजीटी एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने और इसमें पहले प्रत्यर्थी द्वारा शिकायत किए गए कथित उल्लंघनों के संबंध में एक रिपोर्ट मांगने की अपनी शक्तियों के भीतर था, उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह आवश्यक था कि कथित उल्लंघनकर्ताओं को उक्त रिपोर्ट पर आपत्ति करने का अवसर दिया जाए और आपत्तियों पर विचार करने के बाद, एनजीटी को एक सुविचारित आदेश पारित करना चाहिए था और केवल वे निर्देश जारी करने चाहिए थे जो प्रत्येक उद्योग के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उचित थे जिन्हें एनजीटी के समक्ष प्रत्यर्थी बनाया गया था।

बी.

सी.

उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 19 (1) (इसके बाद सुविधा के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि न्यायाधिकरण, हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, फिर भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

डी.

तत्काल मामले में विद्वान सॉलिसिटर जनरल के अनुसार, दो मामलों में राष्ट्रीय न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है: सबसे पहले, एनजीटी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट और उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपीलार्थी (गण) द्वारा आपत्ति नहीं की जा सकी क्योंकि अपीलार्थियों को इस पर विचार करने के लिए शायद ही कोई समय दिया गया था। इस संबंध में,

उन्होंने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों को एन. जी. टी. की वेबसाइट पर 15.01.2022 पर रखा गया था और उसके तीन दिन बाद यानी 18.01.2022 पर विवादित निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि इतने कम समय में एनजीटी द्वारा मामलों पर विचार किया गया और निपटाया गया, इसमें अपीलार्थियों द्वारा दायर आपत्तियों के अभाव में और न ही इसमें अपीलार्थियों को सुनने के बाद, यह भी सूचित करेगा कि एनजीटी द्वारा विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशों के पक्ष और विपक्ष पर कोई विचार नहीं किया गया है और क्या जारी किए गए निर्देश प्रत्येक अपीलार्थी (गण) के मामले के लिए उपयुक्त थे या नहीं।

ई.

एफ.

जी.

एच.

448

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि अपीलार्थियों को एनजीटी द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर मिलता और यदि अपीलार्थियों को मामले में सुना जाता, तो संभवतः अपीलार्थी (गण) के खिलाफ उचित निर्देश जारी किए जा सकते थे।

अंत में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत विद्वान कि विवादित आदेश को अपास्त करना जा सकता है और मामले को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में पहले प्रत्यर्थी के पूरे मामले पर फिर से विचार करने के लिए एन. जी. टी. को भेजा जा सकता है, अर्थात्, इसमें अपीलार्थियों को एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, दायर करने का अवसर देकर और दूसरा, इसमें अपीलार्थियों को सुनवाई का और अवसर देकर।

बी.

सी.

इस संबंध में, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने एक निर्णय पर भरोसा विद्वान

यह न्यायालय संघार जुबेर इस्माइल बनाम पर्यावरण, वन मंत्रालय में

और जलवायु परिवर्तन और एक अन्य रिपोर्ट (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 669 में।

डी.

6. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय जैन और श्री नाजकी ने विद्वान सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को अपनाया और यह भी तर्क दिया कि जिस तरह से एनजीटी द्वारा इन मामलों में मूल याचिका का निपटारा विद्वान गया है, वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। इस संबंध में, इस न्यायालय के एक अन्य निर्णय पर भी निर्भरता रखी गई है।

ई.

कांठा विभाग युवा कोली समाज परिवर्तन बनाम राज्य का मामला

गुजरात ने 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 120 में रिपोर्ट किया। 7. अन्य विद्वान अधिवक्ता जो उपस्थित हुए हैं, उन्होंने हमारे ध्यान में लाया कि तत्काल मामले में दो रिपोर्ट दायर की गई थीं और इसलिए, यह और भी आवश्यक था कि उक्त रिपोर्टों पर विचार किया जाए ताकि यह जांच की जा सके कि क्या उनमें विरोधाभास थे और वे कानून के अनुसार थे।

एफ.

8. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान ए. एस. जी. के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं के लिए अन्य विद्वान अधिवक्ताओं ने भी विद्वान सॉलिसिटर जनरल की दलीलों का समर्थन विद्वान ।

जी.

9. हम विद्वान सॉलिसिटर जनरल, विद्वान वरिष्ठ वकील और संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई दलीलों में सार पाते हैं।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, पहला प्रत्यर्थी यहाँ चुनाव लड़ने वाला प्रत्यर्थी है जिसे सेवा दी जा चुकी है और वह इन मामलों में पेश होने में विफल रहा है।

एच.

449

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन v.

अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

10. एन. जी. टी. द्वारा जारी किए गए निर्देश ऊपर दिए गए हैं। उपरोक्त निर्देश विशेषज्ञ समिति द्वारा एनजीटी को सौंपी गई दो रिपोर्टों के माध्यम से की गई सिफारिशों के आलोक में हैं। यह

ध्यान दिया जाता है कि एन. जी. टी. ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 14-16 पर रिपोर्ट/ओं के साथ-साथ सिफारिशें निकाली हैं और निम्नानुसार अवलोकन किया है:

बी.

“14. निर्धारण के लिए बिंदु वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन और उपयोग करने में विफलता के कारण प्रदूषण के खिलाफ उपचारात्मक कार्रवाई, रिहंद जलाशय के टूटने के कारण और राख तालाब के टूटने के कारण होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेही, जिसके परिणामस्वरूप मौतें और चोटें आती हैं और फसलों और पर्यावरण को नुकसान होता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, पारंपरिक फ्लाइ ऐश 1670.602 मिलियन टन है, जिसमें पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने की संभावना है, जैसा कि डाइक के टूटने से जल और वायु प्रदूषण के स्रोतों को दूषित करने की घटनाओं से पता चलता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र गंभीर रूप से प्रदूषित हो जाते हैं। कई टी. पी. पी. में वायु नियंत्रण उपकरण स्थापित नहीं हैं। मौतों, चोटों और वनस्पतियों और जीवों के नुकसान की घटनाएं होती हैं।

सी.

डी.

15. हमने इस न्यायाधिकरण के पूर्व आदेशों के अनुसरण में ओ. ए. सं. 117/2014, ओ. ए. सं. 164/2018 में 14.07.2020 और ओ. ए. सं. 148/2020 में 29.6.2020 में दिए गए आंकड़ों पर विचार किया है, जिसमें उपचारात्मक कार्रवाई की सिफारिशें भी शामिल हैं। संयुक्त समितियों/निरीक्षण समितियों की रिपोर्टों में अनुमानित अनुपालन स्थिति फ्लाइ ऐश के भंडारण, संचालन, प्रबंधन और उपयोग में भारी अंतर को दर्शाती है और इसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को निरंतर नुकसान होता है। इस तरह के बड़े अंतराल रिपोर्ट में सिफारिशों के हिस्से से पेटेंट हैं। कुछ व्यक्तिगत टी. पी. पी. के संबंध में उल्लिखित कमियां प्रतिनिधि प्रकृति की प्रतीत होती हैं और लगभग सभी टी. पी. पी. में मौजूद हो सकती हैं, जब तक कि जमीन पर अन्यथा नहीं दिखाया जाता है और न कि स्व-सेवा इनकार के रूप में। उक्त सिफारिशों के आलोक में, एन. जी. टी. अधिनियम की धारा 20 के तहत सतत विकास के सिद्धांत को लागू करने के लिए आगे की उपचारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। सिफारिशों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

ई.

एफ.

जी.

“मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड शक्ति नगर सोनभद्र:समिति की सिफारिशें

XXX

एच.

450

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड रिहंद सुपर थर्मल पावर (बिजली संयंत्र)

समिति की सिफारिशें

XXX

मेसर्स अनपारा थर्मल पावर प्लांट (पावर प्लांट) समिति की सिफारिशें

बी.

XXX

मेसर्स अनपरा 'सी' लैंको थर्मल पावर स्टेशन समिति की सिफारिशें

सी.

XXX

मेसर्स रेनुसागर थर्मल पावर प्लांट समिति की सिफारिशें

डी.

XXX

मेसर्स ओब्रा थर्मल पावर स्टेशन (पावर प्लांट) समिति की सिफारिशें

XXX

ई.

मेसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन. सी. एल.) की कोयला खदानें 1.एन. सी. एल.
दुधीचुवा परियोजना, सोनभद्र

समिति की सिफारिशें

XXX

एफ.

2. एन. सी. एल. बीना परियोजना, बीना, सोनभद्र समिति की सिफारिशें

XXX

3. एन. सी. एल. कृष्णा शिला परियोजना समिति की सिफारिशें
जी.

XXX

4. मेसर्स एन. सी. एल. काकरी परियोजना, सोनभद्र समिति की सिफारिशें ए
एच.

451

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन v.

अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

XXX

5. एन. सी. एल. खाडिया परियोजना सोनभद्र समिति की सिफारिशें
बी.

एल्यूमीनियम स्मेल्टर:मेसर्स हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र
समिति की सिफारिशें XXX

सी.

मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड केमिकल डिवीजन, रेणुकूट, सोनभद्र
समिति की सिफारिशें XXX

डी.

मेसर्स बिड़ला कार्बन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेणुकूट, सोनभद्र समिति की सिफारिशें

XXX

समिति की स्टोन क्रशर सिफारिशें

ई.

उ. ताप विद्युत संयंत्र (टी. पी. पी.) और उद्योग

बी. मैसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एन. सी. एल.) सी. स्टोन क्रशर की कोयला खदानें

एफ.

सिफारिशें "

16. उपरोक्त से यह देखा गया है कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। टी. पी. पी. की विफलताएँ चिंताजनक हैं। हम सभी सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने और उपचारात्मक कार्रवाई का निर्देश देने का कोई कारण नहीं पाते हैं। इस प्रकार, सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया जाता है और आगे की उपचारात्मक कार्रवाई वैधानिक नियामकों द्वारा करने का निर्देश दिया जाता है, जिनकी देखरेख सी. पी. सी. बी., राज्य पी. सी. बी. और सी. पी. सी. बी. और राज्य पी. सी. बी. के साथ क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेटों की संयुक्त समितियों द्वारा भी की जाती है।

जी.

एच.

452

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

नोडल एजेंसी होना। तिमाही रिपोर्ट अब एम. ओ. ई. एफ. एंड सी. सी. के पास दाखिल की जा सकती है जिस पर एतद्द्वारा गठित की जा रही समन्वय समिति द्वारा विचार किया जाएगा।"

11. दूसरे शब्दों में, एनजीटी ने सिफारिशों को समिति द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक कार्रवाई के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन यह अपीलार्थियों द्वारा दायर आपत्तियों के अभाव में है जो एनजीटी के समक्ष प्रतिवादी थे और उन्हें कोई सुनवाई किए बिना और जिनके खिलाफ इन मामलों में विवादित निर्देश एनजीटी द्वारा पारित किए गए हैं। हम पाते हैं कि एनजीटी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। एन. जी. टी. अधिनियम, 2010 की धारा 19 (1) इस प्रकार है:

बी.

सी.

"19.(1) न्यायाधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।"

इस स्तर पर, हम यह भी देख सकते हैं कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें एनजीटी पर बाध्यकारी नहीं हैं, वे केवल एनजीटी को मामले में सही निर्णय पर पहुंचने में सक्षम बनाने के लिए सहायता के माध्यम से हैं।

डी.

12. इस संबंध में सांघर जुबेर इस्माइल (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 7 और 8 पर भरोसा किया जा सकता है जिसमें यह नीचे कहा गया है:

ई.

“7. अपनी अपीलीय शक्ति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, एनजीटी को चुनौती के मूल आधारों पर अपना दिमाग लगाना होगा। एनजीटी ने अपना निष्कर्ष केवल उस बयान पर आधारित किया है जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिया गया है और चुनौती के आधारों का स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया है।

एफ.

8..... एन. जी. टी. ने अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में चुनौती के मूल आधारों पर विचार नहीं किया है। विशेषज्ञ समिति का गठन एनजीटी को निर्णय लेने के अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं करता है। एन. जी. टी. का न्यायिक कार्य समितियों, यहाँ तक कि विशेषज्ञ समितियों को भी नहीं सौंपा जा सकता है। निर्णय एन. जी. टी. का होना चाहिए। एन. जी. टी. का गठन संसद के एक अधिनियम के तहत एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के रूप में किया गया है। न्यायाधिकरण में निहित किसी कार्य को करने के लिए कार्य समितियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन को रोका नहीं जा सकता है।”

जी.

एच.

453

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन v.

अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

ए.

13. इसके अलावा, कांठा विभाग (ऊपर) में, इस न्यायालय ने संयुक्त समिति को मुख्य निर्णय सौंपने की प्रथा की आलोचना की थी:

15. सबसे पहले यह महत्वपूर्ण है कि अदालतों/न्यायाधिकरणों द्वारा स्थापित विशेषज्ञ समितियों को कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने या किसी विशेष कानून के तहत सरकार द्वारा स्थापित समितियों से अलग किया जाए। उत्तरार्द्ध को किसी दिए गए क्षेत्र में उनकी तकनीकी विशेषज्ञता के कारण स्थापित किया जाता है, और उनकी रिपोर्ट, न्यायिक रूप से देखे गए प्रतिबंधों के अधीन होती हैं, अदालतों के समक्ष न्यायिक समीक्षा के लिए खुली होती हैं जब निर्णय पूरी तरह से उनके आधार पर लिए जाते हैं। इस न्यायालय के उदाहरणों में सर्वसम्मति से कहा गया है कि न्यायालयों को इन समितियों की राय को अस्वीकार करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक

कि वे अपने निर्णय को स्पष्ट रूप से मनमाना या दुर्भावनापूर्ण नहीं पाते हैं। दूसरी ओर, अदालतें/न्यायाधिकरण स्वयं अवसर पर विशेषज्ञ समितियों का गठन करते हैं। इन समितियों का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि कई मामलों में तथ्य खोजने की कवायद जटिल, तकनीकी और समय लेने वाली हो सकती है, और अक्सर समितियों को क्षेत्र का दौरा करने की आवश्यकता हो सकती है। इन समितियों का गठन उनके जनादेश को रेखांकित करने वाले संदर्भ की विशिष्ट शर्तों के साथ किया जाता है, और उनकी रिपोर्ट को जनादेश के अनुरूप होना चाहिए। एक बार जब ये समितियाँ अदालत/न्यायाधिकरण को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं, तो पक्षकारों के लिए उन पर आपत्ति करने के लिए खुला होता है, जिस पर फिर निर्णय लिया जाता है। इन विशेषज्ञ समितियों की भूमिका न्यायालय या न्यायाधिकरण की न्यायिक भूमिका का स्थान नहीं लेती है। एक न्यायनिर्णायक मंच द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति की भूमिका केवल उन्हें बेहतर डेटा और तथ्यात्मक स्पष्टता प्रदान करके न्यायनिर्णायक कार्यों के अभ्यास में सहायता करने के लिए है, जिसे सभी संबंधित पक्षों द्वारा चुनौती दी जा सकती है। आपत्तियों को उठाने और उन पर विचार करने की अनुमति देना सभी हितधारकों के लिए प्रक्रिया को निष्पक्ष और सहभागी बनाता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. धारा 14 और धारा 15 एन. जी. टी. को न्यायिक कार्य सौंपते हैं। एन. जी. टी. एक विशेष निकाय है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य शामिल हैं। न्यायिक सदस्य मामलों के न्यायनिर्णयन में अपना अनुभव प्रदान करते हैं। दूसरी ओर, विशेषज्ञ सदस्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर वैज्ञानिक ज्ञान लाते हैं। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर बनाम भारत संघ 9 में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उल्लेख किया कि एनजीटी पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ न्यायिक निकाय है। न्यायालय ने कहा:

जी.

एच.

454

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

“133. एन. जी. टी. अधिनियम एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान करता है जिसमें न्यायिक और विशेषज्ञ दोनों सदस्य होते हैं। कानून द्वारा परिकल्पित न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के मिश्रण का कारण यह है कि न्यायाधिकरण को उन प्रश्नों पर विचार करने के लिए कहा जाता है जिनमें विज्ञान के अनुप्रयोग और मूल्यांकन और पर्यावरण के साथ इसके इंटरफेस शामिल हैं।

बी.

134. एनजीटी पर्यावरण पर एक विशेषज्ञ न्यायनिर्णायक निकाय है।” 17. जब पर्यावरण के मुद्दों की बात आती है तो एनजीटी के पास 'विशेषज्ञता' की कमी नहीं है।

18. धारा 15 एन. जी. टी. को प्रदूषण के पीड़ितों और पर्यावरणीय क्षति के लिए मुआवजा देने, क्षतिग्रस्त संपत्ति की बहाली और पर्यावरण की बहाली के लिए प्रावधान करने का अधिकार देती है। एनजीटी इन मुख्य न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक विशेषज्ञ समितियों को सौंपकर अपने अधिकार क्षेत्र का त्याग नहीं कर सकता है। विशेषज्ञ समितियों को एन. जी. टी. के कार्य के निष्पादन में सहायता करने और इसकी तथ्य-खोज भूमिका के सहायक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन कानून के तहत निर्णय एनजीटी को सौंपा गया है और इसे प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं सौंपा जा सकता है। न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को सौंपे गए न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक समितियों को नहीं सौंपा जा सकता है।

सी.

डी.

19. एनजीटी ने वर्तमान मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को छोड़ दिया है और न्यायिक कार्यों को एक प्रशासनिक विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया है। उदाहरण के लिए, एक विशेषज्ञ समिति एन. जी. टी. की सहायता करने में सक्षम हो सकती है, लेकिन निर्णय एन. जी. टी. द्वारा किया जाना चाहिए। यह एक प्रत्यायोजित कार्य नहीं है। अतः, अपील में आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। विवादित आदेश का परिणाम उस सावधानीपूर्वक अभ्यास को समाप्त करना है जो पहले की पीठों द्वारा किया गया था। इस बीच बहुमूल्य समय बर्बाद हो गया है और वर्तमान मामले में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया है।”

ई.

एफ.

जी.

14. हाल के एक ऐतिहासिक निर्णय में, मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग

लिमिटेड बनाम भारत संघ (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन 366, के सिद्धांत

माननीय सीजेआई-डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ के शब्दों में प्राकृतिक न्याय को निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:

“53. ...ऑडी अल्टरम पार्टम के पहलू में शामिल है नोटिस के घटक, नोटिस की सामग्री, जांच की रिपोर्ट, ए एच.

455

सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन v.

अश्विनी कुमार दुबे और ओआरएस। [बी. वी. नागरत्ना, जे.] ए.

और ऐसी सामग्री जो अवलोकन के लिए उपलब्ध हैं। जबकि स्थितिजन्य संशोधन स्वीकार्य हैं, प्राकृतिक न्याय के नियमों को स्थिति की जरूरतों के अनुरूप इस हद तक संशोधित नहीं किया जा सकता है कि सिद्धांत के मूल को निरस्त कर दिया जाए क्योंकि यह मूल है जो प्रक्रियात्मक तर्कसंगतता को प्रभावित करता है।”

15. उपरोक्त को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि एन. जी. टी. एक न्यायिक निकाय है और इसलिए न्यायिक कार्य करता है। एक न्यायनिर्णायक कार्य की प्रकृति अपने साथ इस आवश्यकता को वहन करेगी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाए, विशेष रूप से जब न्यायाधिकरण के समक्ष या भारत में न्यायालयों के समक्ष उस मामले की सुनवाई की एक प्रतिकूल प्रणाली हो। हालाँकि एन. जी. टी. संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, अपने कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए जिसमें अधिनियम की धारा 19 (1) में परिकल्पित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी शामिल होगा।

बी.

सी.

16. इस संदर्भ में, 'आधिकारिक सूचना' सिद्धांत को संदर्भित करना उपयोगी होगा, जो प्रशासनिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। यद्यपि एक प्राधिकरण अपनी विशेषज्ञ क्षमता में औपचारिक रूप से उन्हें साक्ष्य में पेश करने की आवश्यकता के बिना अपनी परिचित सामग्री पर भरोसा कर सकता है, फिर भी, पक्षों को इस तरह से देखी गई सामग्री के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें समझाने या खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जिस डेटा पर कोई प्राधिकरण कार्य कर रहा है, उसे उस पक्ष को सूचित किया जाना चाहिए जिसके खिलाफ डेटा का उपयोग किया जाना है क्योंकि ऐसे पक्ष को न केवल इसका खंडन करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उन तथ्यों को पूरक, व्याख्या या एक अलग दृष्टिकोण भी

देगा जिन पर प्राधिकरण निर्भर है। इसे श्वार्ट्ज ने प्रशासनिक कानून पर अपने काम में समझाया है। उपरोक्त सिद्धांत न्यायिक/न्यायिक निकाय पर अधिक बल के साथ लागू होता है।

डी.

ई.

एफ.

इसलिए, एन. जी. टी. के समक्ष आने वाले मामलों में उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, यदि एन. जी. टी. किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या उसके संज्ञान में आने वाली किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री पर भरोसा करना चाहता है, तो उसे पक्ष को पहले से खुलासा करना चाहिए ताकि चर्चा और खंडन का अवसर दिया जा सके। इस प्रकार, एन. जी. टी. द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर एन. जी. टी. के संज्ञान में आने वाली तथ्यात्मक जानकारी, यदि एन. जी. टी. द्वारा उस पर भरोसा किया जाना है, तो पक्षकारों को उनकी प्रतिक्रिया के लिए इसका खुलासा किया जाना चाहिए और ऐसी रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियों या टिप्पणियों को न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

जी.

एच.

456

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 10 एस सी आर।

17. यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि विशेषज्ञों की राय केवल अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता के रूप में होती है। लेकिन हम पाते हैं कि तत्काल मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ सिफारिशों को निर्देशों का आधार बनाया गया है और इस तरह का दृष्टिकोण अनुचित है।

18. हमने एन. जी. टी. के विवादित आदेश और विशेष रूप से पैरा '16' का अवलोकन किया है जो ऊपर निकाला गया है। यह स्पष्ट है कि इसमें अपीलार्थी (गण) जो एनजीटी के समक्ष प्रतिवादी थे, उन्हें एनजीटी द्वारा गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया था, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सिफारिशें 15.01.2022 पर अपलोड की गई थीं और एनजीटी का अंतिम आदेश तीन दिन बाद पारित किया गया था, अर्थात् 18.01.2022। इस प्रकार, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने का एक स्पष्ट मामला है। केवल उक्त आधार पर विवादित आदेश को अपास्त करना दिया जाता है, मामले को एन. जी. टी. द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दायर सिफारिशों के चरण से पुनर्विचार के

लिए एन. जी. टी. को भेज दिया जाता है। इसमें अपीलार्थी (गण) को अपनी आपत्तियां दर्ज करने की अनुमति है, यदि उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाती है। एनजीटी सिफारिशों पर दायर आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगा और उसके बाद कानून के अनुसार और सभी पक्षों को उचित अवसर देने के बाद आवेदनों का निपटारा करेगा।

बी.

सी.

डी.

19. अपीलों की अनुमति दी जाती है और उपरोक्त शर्तों में उनका निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

ई.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: तमन्ना, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.